



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 794

दिनांक 10-04-17

प्रति,

प्राचार्य,

शा. कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय,
कन्नौद, जिला-देवास।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिश्रियम क्रमांक 27 की धारा 9(i) 2 के प्रावधानान्तर्गत स्थाई सम्बद्धता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता आवेदन क्रमांक / 309, दिनांक 18.07.2016.

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय / नवीन विषय / सीट संख्या वृद्धि की जाने / सम्बद्धता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 31.03.2017 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठक के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 से शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्थाई सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	बी.ए. (समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य)	250
2	बी.कॉम. (प्लेन / कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन) स्ववित्तीय	90+50 = 140
3	बी.एससी. (प्राणिकी, रसायन, वनस्पति, गणित, भौतिकी)	113+25 = 138
4	एम.ए. (हिन्दी साहित्य) स्ववित्तीय	20

आदेशानुसार

कुलसचिव

दिनांक : 10-4-17

क्रमांक / अकादमिक / सम्बद्धता / 2017 / 795

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद्, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र, उज्जैन।
5. उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति / कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनाार्थ।

कुलसचिव



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4151

दिनांक :- 14/11/16

---: संशोधित-सूचना ---:

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन पाठ्यक्रम/नवीन विषय/आगामी कक्षा की सम्बद्धता/पूर्व स्वीकृत संख्या में वृद्धि/सम्बद्धता-निरंतरता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिये प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर संबंधित महाविद्यालय का निरीक्षण करने हेतु माननीय कुलपतिजी द्वारा परिनियम क्रमांक 27 के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन विश्वविद्यालय की सूचना क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/3347, दिनांक 25.07.2016 द्वारा किया गया था। जिसमें निम्नानुसार संशोधन किया गया है :-

A महाविद्यालय का नाम :- शा.कला वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, कन्नौद, जिला-देवास।

B आवेदित विषय/पाठ्यक्रम :- (1) बी.ए.(समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी)

(2) बी.कॉम.(ट्वेन/कम्प्यूटर ऐप्लिकेशन)

(3) बी.एससी.(प्राणिकी, रसायन, वनस्पति, गणित, भौतिक)

(4) एम.ए.(हिन्दी साहित्य)

C समिति के सदस्यों के नाम :-

01. प्रो. एच.एस.रावैर - आचार्य, प्राणिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

02. प्रो.जे.आर.सिंह - विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

03. डॉ.एस.के.मिश्रा - उपाचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि, वे निरीक्षण प्रतिवेदन में परिनियम 27 एवं 28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर पूर्व एवं वर्तमान का सम्बद्धता शुल्क, धरोहर राशि, वास्तु शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ प्रधिकृत, संस्था से प्राप्त अनुमति/अनापत्ति प्रमाण-पत्र भवन, क्रीड़ा परिसर, एवं पाठ्यक्रम आर्डिनंस तथा पिछले सत्र में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी विषयों की सम्बद्धता की शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण-पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट अनुशासनात्मक अंकित करें।

संबंधित पाठ्यक्रम की मान्यता देने के लिये महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं/संसाधन के भौतिक स्थापन का समस्त उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति का होगा। समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचना कि कृपया अवलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन एवं महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो/फोटो की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध करने का कष्ट करें, ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जा सके। विडीयो/फोटो के खर्च का वहन महाविद्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

निरीक्षण समिति/समिति के सदस्यों का परिश्रमिक/यात्रा भत्ता तथा समिति द्वारा प्रयुक्त वाहन के वास्तविक व्यय आदि की राशि का भुगतान संबंधित महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

आदेशानुसार

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4152

प्रतिनिधि :-

01. समिति के समस्त सदस्यों को इस निवेदन के साथ सूचित किया जाता है कि, अवलम्ब उक्त महाविद्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन एवं निरीक्षण के दौरान की गई विडीयो/फोटो की सी.डी. दो प्रतियों में उपलब्ध करवाये ताकि उक्त महाविद्यालय को सम्बद्धता/निरंतरता दी जाने की आगामी कार्यवाही की जा सके।

प्रो.इंचार्ज(अकादमिक)

14/दिनांक :- 14/11/16

निरंतर...02